

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

फरवरी, 2022 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं: -

1. सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण) की अध्यक्षता में दक्षिण भारत में बसे पेंशनभोगियों को कवर करते हुए 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए दिनांक 17.02.2022 को एक वेबिनार आयोजित किया गया था। त्रिशूर, बेंगलूर, तिरुवनंतपुरम, पुडुचेरी, कन्याकुमारी और मैसूर के शहरों और आसपास के क्षेत्रों के पेंशनभोगियों ने वेबिनार में भाग लिया। वेबिनार का उद्देश्य कुटुंब पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, पेंशन के संराशीकरण और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जीवन प्रमाण(डीएलसी) देने के बारे में जागरूकता पैदा करना और जानकारी का प्रसार करना था। इन विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिए गए और उसके बाद प्रश्न-उत्तर सत्र का आयोजन किया गया।
2. देश भर में जागरूकता फैलाने के लिए पेंशनभोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रिंट मीडिया (अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं) में दिनांक 18.02.2022 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस तकनीक के माध्यम से कोई भी पेंशनभोगी किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस या अन्य डिवाइस को अटैच किए बिना किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग करके घर से जीवन प्रमाण जमा कर सकता है। उपरोक्त तकनीक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में एक मील का पत्थर है।
3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए और नियमित पेंशन को अधिकृत करने हेतु पीपीओ जारी करने में विलंब होने के मामले में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन और उपदान का भुगतान करने के संबंध में दिनांक 23.02.2022 को एक का.ज्ञा. सं.12(9)/2020-पी&पीडब्ल्यू(सी)-6450 जारी किया गया था।
4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर जागरूकता फैलाने के लिए विभाग ने अपने विभागीय ट्विटर हैंडल पर एनपीएस से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की एक श्रृंखला शुरू की है।
5. सीपेंग्रास में पंजीकृत शिकायतों के समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ दिनांक 23.02.2022 को अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।
6. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए 'भविष्य' पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छह (6) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।
7. शिकायत समाधान, भविष्य, अनुभव और संकल्प पर स्थिति अनुबंध में यथादर्शित है। विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रारूप में ई-मेल द्वारा भी भेजी जा रही है।
8. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रेकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को विलंब की निगरानी करने और ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार अंतर्निहित स्वचालित गणना से भी लाभ होता है। दिनांक 02.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 96 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 7779 डीडीओ के माध्यम से 813 संबद्ध कार्यालयों में भविष्य प्रचलित है। 'उमंग प्लेटफॉर्म' पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न हितधारकों द्वारा 'भविष्य' तक पहुंचा जा सकता है। दिनांक 02.03.2022 की स्थिति के अनुसार, 35650 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामले प्रणाली के माध्यम से प्रक्रमण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 151689 पेंशनभोगियों के संबंध में तैयार किए गए और उन्हें पीपीओ जारी किया गया है। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से फरवरी, 2022 मास में 3211 पीपीओ जारी किए गए थे। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जेनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

9. अनुभव: मार्च, 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से, 7565 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 28.02.2022 तक 'अनुभव पोर्टल' के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 5528 प्रकाशन की प्रक्रिया के अधीन हैं। फरवरी, 2022 मास में, अनुभव के 210 आलेख प्रकाशित किए गए।

10. संकल्प: 'संकल्प' पहल के तहत, विभाग ने अब तक 47 पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिससे 5972 कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

11. माह के दौरान, 4465 शिकायतें दर्ज की गईं और 5127 का निपटान किया गया। 28 फरवरी, 2022 को शेष 4466 है। विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:-

	दिनांक 01/02/2022 को अग्रणीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	28/02/2022 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	5128	4465	5127	1425	4466

12. जेम (GeM) के माध्यम से खरीद:- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने फरवरी, 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्नीचर और स्टेशनरी (उत्पादों के लिए आदेश) आदि की आपूर्ति के लिए जेम के माध्यम से रुपये 967670/- की राशि के लिए 36 (छत्तीस) आर्डर दिए हैं।
